57

अति महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 01 / 2020 / 1244 / छिहत्तर-1-2020-20स्वजल / 2010टी सी -अ

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 07 जुलाई, 2020

विषय-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निवासियो को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से नल से जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को समाहित करते हुए 'जल जीवन मिशन' प्रारम्भ किया गया है। 'जल जीवन मिशन' का प्रमुख उद्देश्य समस्त ग्रामीण बस्तियों को मार्च, 2024 तक पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक अनुसार क्रियाशील नल संयोजन से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 190/76-1-2020- 25 सम/2019 दिनॉक 24-01-2020 द्वारा समस्त दिशा निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये हैं। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के नियोजन/क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 95/76-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनॉक 21-01-2020 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) का पुनर्गठन करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है।

2- 'जल जीवन मिशन' के क्रियान्वयन में प्रथमतः समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति एवं जल संरक्षण के उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने हेतु ग्राम कार्य योजना (V.A.P.) तैयार की जानी है। प्रस्तावित कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कियान्चित की जानी है। इस सम्बन्ध में पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम के अन्दर की आधारभूत संरचना (Invillage Infrastructure) लागत का 10 प्रतिशत अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में 5 प्रतिशत अंशदान समुदाय द्वारा नगद, सामग्री अथवा श्रम इत्यादि के रुप में दिया जाना है। इस निमित्त ग्रामीण समुदाय/ग्राम पचांयत से सहमति प्राप्त कर परियोजना को क्रियान्वयन किया जाना है।

3- 'जल जीवन मिशन' के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उन परियोजनाओ, जिन पर शीघ्रता से फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) दिये जा सकते हैं, को प्राथमिकता प्रदान की जानी है। वर्तमान में प्रदेश में 5899 पाइप पेयजल योजनाएं पूर्व निर्मित हैं, जिनका रख-रखाव उत्तर प्रेदश जल निगम/जल संस्थानों/ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश योजनाओं में समस्त परिवारों हेतु कार्यशील नल संयोजन की व्यवस्था उपलब्ध नही हैं। इन योजनाओ से आच्छादित समस्त परिवारों हेतु नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जाना है। इस निमित्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद में पूर्व से संचालित पाइप पेयजल योजनाओ से आच्छादित ग्रामों में शतप्रतिशत हाउसहोल्ड को FHTC दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यो यथा-नलकूपों के निर्माण/रि-बोरिंग,

पाइप लाइन का विस्तार तथा गृह संयोजन को सम्मिलित करते हुए आगणन तैयार कर रिट्रोफिटिंग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना है।

4— उपर्युक्त के दृष्टिगत समस्त जनपदों में निम्नलिखित कार्यवाहियां प्राथमिकता पर कराई जानी हैः—

1. जनपद स्तर पर ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.) एवं जनपद कार्य योजना (डी.ए.पी.) प्राथमिकता पर तैयार की जाये। ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.) तैयार करने में रिट्रोफिटिंग के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामो को प्राथमिकता प्रदान की जाये। आगणन में सम्मिलित ग्राम पंचायतों से पाइप पेयजल योजनाओं की आधार भूत संरचना हेतु अंशदान प्रदान करने तथा योजना के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व वहन करने हेतु भी उनकी सहमति/प्रस्ताव प्राप्त किया जाए।
2. 'जल जीवन मिशन' के क्रियान्वयन हेतु ग्रामों के चयन में गुणता प्रभावित (रासायनिक/जीवाणु), सांसद आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम आदि को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
3. उपरोक्तानुसार तैयार की जा रही परियोजनाओ की सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा स्वयं किया जाए।
4. वर्तमान में वैश्विक कोरोना महामारी (कोविड—19) के दृष्टिगत प्रदेश में काफी प्रवासी श्रमिक वापस आये है। पाइप पेयजल योजनाओ के निर्माण में स्थानीय श्रमिको के साथ प्रवासी श्रमिको का भी सहयोग प्राप्त कर उन्हें भी रोजगार सुलभ कराया जाए।

5— अतः इस सम्बन्ध में कृपया 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं को कियान्वित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

सख्याः 01 /2020/1244(1)/छिहत्तर—1—2020-20ख जा.नि./2020टी.सी.31, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(3) निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, पचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) निजी सचिव प्रमुख सचिव, नमामि गगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(9) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(10) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(11) जिला विकास अधिकारी/ जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।